APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट फलामादा

पन्ना पिता बक्षा दरोगा
निवासी– हाजियास

बनाम देवी लाल पिता छोगा दरोगा
निवासी– हॉजियास

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89, 92 ए. रा.टी.ए. प्रकरण संख्या– 1703/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट फलामादा पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे । वकील वादी के द्वारा प्रकरण का निस्तारण केम्प कोर्ट में करवाये जाने की इस्तदुआ करने पर वकील वादी की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था आराजी मुतदाविया वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 की मौरुसी आराजीयात है जो उनके मौरुस बक्षा पिता जालम दरोगा के नाम दर्ज थी, तथा बक्षा की विरासत से उनके तीनों पुत्रों वादी पन्ना, रुपा, छोगा के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से विरासत का नामान्तकरण मृतक खातेदार बक्षा के पुत्र रुपा, छोगा के नाम ही खोला गया । वादी पन्ना का नाम छोड दिया। वकील वादी का बहस में यह भी कथन था कि खातेदार रुपा की मृत्यु के बाद रुपा के हक हिस्से की भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम गोदनामा के आधार पर खोल दिया, जबकि रुपा ने अपने जीवनकाल में कभी भी प्रतिवादी संख्या–1 को गोद नही लिया था। प्रतिवादी संख्या–1 देवीलाल ने फर्जी व कूट रचित दस्तावेज के आधार पर रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। जो गलत है बल्कि रुपा ने अपने जीवनकाल में ही उसके हक हिस्से की आराजी बाबत चोपनिया में यह लिखा है कि उसके हक हिस्से की आराजी पर उसके दोनो भाईयों छोगा व पन्ना का समान अधिकार होगा। अन्त में कथन किया कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी को 1/2 हक हिस्से से खातेदार घोषित फरमाया जावें । उपस्थित प्रतिवादी संख्या–देवीलाल के द्वारा दावा वादी स्वीकार किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किया। मैनें उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

निम्न प्रकार से रहा

वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 मौजा हाजियास पटवार हल्का फलामादा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 442, 444, 445, 446, 447, 448 किता 6 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा भूमि देवीलाल मुतबन्ना रुपा, लादू पिता छोगा, रुकमणी बेवा छोगा दरोगा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

यहाँ वादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात उनके पिता बक्षा पिता जालम दरोगा के नाम दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के बाद विरासत से रुपा व छोगा के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि मृतक खातेदार के तीनों पुत्रों के नाम पन्ना, रुपा, छोगा दर्ज होनी चाहिये थी। अपने कथनों की पुष्टि में उनके द्वारा जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट उदयपुर मौजा हाजियास के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 187, 188, 192, 512, 513, 514, 515, 516, 522, 524 किता 10 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा भूमि बक्षा बल्द जालम दरोगा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना तथा भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2021–22 के अनुसार उक्त साबिक नम्बरों के 442, 444, 445, 446, 447, 448 नवीन नम्बर बनाये जाना प्रकट आया है। तथा इसी खसरा के कॉलम नम्बर– 23 नाम कृषक (गत भू–माप) तथा कॉलन नम्बर– 24 नाम कृषक (वर्तमान) में रुपा, छोगा पिता बक्षा दरोगा का नाम भी होना स्पष्ट हुआ है।

चुँकि यहाँ यह निर्विवाद है कि मृतक खातेदार बक्षा वल्द जालम के तीन पुत्र क्रमशः रुपा, छोगा, पन्ना थे। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा सम्वत् 2021–2022 में हुये इन्द्राज के अनुसार बक्षा दरोगा की विरासत से रुपा व छोगा का नाम ही दर्ज किया है। वादीगण के पिता पन्ना मृतक खातेदार बक्षा का पुत्र होने से उसका भी बक्षा की भूमि में 1/3 हक हिस्सा निहित है। आराजी मुतदाविया के खातेदार रुपा लाऔलाद फौत हो जाने से रुपा का भाई छोगा के पुत्र देवीलाल प्रतिवादी संख्या–1 ने रुपा का गोद पुत्र बनकर रुपा के हक हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करा ली, तथा छोगा के हक हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या– 2 लादू ने अपने नाम दर्ज करा ली जो विधि विरुद्ध होकर काबिल दुरुस्ती के है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

आज प्रतिवादी संख्या–1 देवीलाल स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित है जिनके द्वारा भी रुपा के गोद जाने बाबत कोई साक्ष्य पेश नही कर वादी का वाद स्वीकार

Scanned by CamScanner

किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त करने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

"निर्णय"

दावा डिक्री किया जाकर मौजा हाजियास पटवार हल्का फलामादा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 442, 444, 445, 446, 447, 448 किता 6 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा भूमि में वादीगणों को 1/2 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। तथा उक्त आराजीयात के खातेदार देवीलाल मुतबन्ना रुपा के स्थान पर देवीलाल पुत्र छोगा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखन्लदाजी हस्तक्षेप करने कराने से रुके रहे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को केम्प कोर्ट फलामादा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner